173

अत्यावश्यक

पत्रांक 2582 ..../

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक– 5/8/11

विषयः– राज्य शताब्दी अन्न कलश योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक तैयारियों के संबंध में।

महाशय,

राज्य में रहने वाले निर्धन, बूढ़े,शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की घटनाओं का रोकथाम करने तथा समाज के कमजोर वर्गों को भूखमरी की स्थिति में खाद्यान्न की आसान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा शताब्दी अन्न कलश योजना के नाम से एक नई योजना स्वीकृत की गयी है। तत्संबंधी शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011 तथा इस कार्यालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत संकल्प की 2–2 प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

2. इस योजना के मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार हैं:–

(i) इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य शताब्दी अन्न कलश निधि एवं सभी जिला में जिला शताब्दी अन्न कलश निधि नाम से कोष का गठन किया जायेगा, जिसमें से कमजोर/आधतयोग्य वर्गों को दिये जाने वाले खाद्यान्न का भुगतान किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अधीन आवंटित सभी राशि इस निधि में रखी जाएगी। इस निधि में आम जनता को भी नगद अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(ii) राज्य एवं जिला निधि के लेखा का संधरण कमशः आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। इस निधि/कोष का वार्षिक अंकेक्षण, वित्त विभाग के अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जाएगा।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य तथा अन्य पंचायत स्तरीय कर्मियों तथा नगरीय क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षदों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे यथाशक्ति अपने क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे निर्धन, बूढ़े, कमजोर, विधवा,निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों/परिवारों को खाना उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं, इस पर नजर रखें। वे ऐसे परिवारों, जो संसाधन विहीन हो तथा जिनके पास आजीविका को कोई साधन न हो या जो, परिस्थितियों के दबाब से, स्थायी या अस्थायी रूप से आजीविका कमाने में अक्षम हो

गये हों, को खाना उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं, इस पर विशेष चौकसी/सतर्कता रखेंगे। मुखिया, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य या वार्ड पार्षद को यथा स्थिति में चौकसी बरतने में अपने क्षेत्र यथा ग्राम पंचायत/वार्ड/नगरीय क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कर्मियों/पदाधिकारियों से सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। वे असैनिक सामाजिक संगठनों से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

(iv) किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति/परिवार के भूखमरी की स्थिति की सूचना प्राप्त होते ही यथा स्थिति मुखिया, वार्ड पार्षद,ग्राम पंचायत के सदस्य या उपर्युक्त सरकारी कर्मी/पदाधिकारी तत्परता से जाँच करेंगे तथा यथास्थिति मुखिया, वार्ड पार्षद या प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रतिवेदन सौपेंगे।

(v) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित जिला पदाधिकारी से परामर्श के आलोक में राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत में एक निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान में एक क्वींटल खाद्यान्न का निवाल्विंग स्टॉक संधारित करेगा। नगरीय क्षेत्र में जिला दण्डाधिकारी ऐसे निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को चिन्हित करेंगे जहाँ खाद्यान्न के रिवाल्विंग स्टॉक का भण्डारण किया जा सके।

(vi) भूखमरी की स्थिति का सामना कर रहे कमजोर, बूढ़े, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों/परिवारों को इस नियमावली में उल्लिखित प्रकिया के अनुसार तथा निर्दिष्ट मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न इस रिवाल्विंग स्टॉक से उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) उपरोक्तानुसार चिन्हित कमजोर वर्गों के किसी व्यक्ति अथवा परिवार के समक्ष भूखमरी का संकट उत्पन्न होने पर मुखिया, वार्ड पार्षद, यथास्थिति, तत्काल संबंधित जन वितरण प्रणाली बिक्रेता को संबंधित व्यक्ति को रिवाल्विंग स्टॉक से निम्न मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न आपूर्त्ति करने हेतु निदेशित करेंगे।

(a) प्रति वयस्क 10 कि0ग्रा0 (दस किलोग्राम) खाद्यान्न एक सप्ताह के लिए

(b) प्रति अवयस्क 7 कि0ग्रा0 (सात किलोग्राम) खाद्यान्न एक सप्ताह के लिए

(viii) मुखिया या वार्ड पार्षद, यथास्थिति, के निर्देश पर संबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता तत्परतापूर्वक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति संबंधित व्यक्ति को करेगा। रिवाल्विंग स्टॉक से उपयोग किये गये खाद्यान्न के अभिलेख का संधारण जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किया जायेगा। उक्त विक्रेता को खाद्यान्न का भुगतान जिला निधि से किया जाएगा।

(ix) संबंधित व्यक्ति को खाद्यान्न की आपूर्त्ति सुनिश्चित करने के तुरंत पश्चात यथास्थिति, मुखिया या वार्ड पार्षद इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी को देंगे।

(x) सूचना की प्राप्ति अथवा अपनी पहल पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, बिना किसी बिलंब के भूखमरी के कारणों के संबंध में जॉच करेंगे तथा संबंधित व्यक्ति को अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता एवं उसकी आजीविका के साधन का आकलन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में यह जांच तीन दिनों के भीतर कर ली जायेगी।

(xi) यदि जॉच के उपरांत, पदाधिकारी(गण) संतुष्ट हैं कि संबंधित व्यक्ति को अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो वह शीघ्रताशीघ्र जनवितरण प्रणाली विक्रेता को संबंधित व्यक्ति को इस नियमावली में निर्दिष्ट मात्रा के अनुसार अतिरिक्त तीन सप्ताहों के लिए मुफ्त खाद्यान्न आपूर्त्ति करने हेतु निदेशित करेगा। इस प्रकार, भूखमरी का सामना कर रहे व्यक्ति को उपर्युक्त प्रक्रियानुसार एवं मात्रा में, दो चरणों में चार सप्ताहों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्त्ति रिवाल्विंग स्टॉक से की जायेगी।

(xii) संबंधित व्यक्ति को उपर्युक्त तरीके से खाद्यान्न आपूर्त्ति सुनिश्चित करने के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। अन्य बातों के साथ–साथ प्रतिवेदन में पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को आजीविका उपलब्ध कराने एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने का सुझाव देंगे। साथ ही उसे चार सप्ताह के लिए दिए गए मुफ्त खाद्यान्न के अतिरिक्त भी खाद्यान्न आपूर्त्ति करने की आवश्यकता का आकलन करेंगे।

(xiii) पदाधिकारी(गण) से प्रतिवेदन प्राप्त होते ही जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की संबंधित व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से, यदि वह पूर्व में आच्छादित न हों, आच्छादित किया जाय। यदि संबंधित व्यक्ति पूर्व से कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित हों तो जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन योजनाओं का लाभ बिना किसी अनावश्यक बिलंब के संबंधित व्यक्ति को मिल जाय। वे इस विषय में अग्रेतर जांच के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित कर सकेगें। जिला पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ससमय मिल रहा है।

(xiv) यदि जिला पदाधिकारी संतुष्ट हों कि संबंधित व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि उसे एक माह से अधिक के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो वे संबंधित जनवितरण प्रणाली बिक्रेता को खाद्यान्न आपूर्त्ति करने का निदेश निर्गत करेंगे। परन्तु जिला पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त होने, जैसा कि नियम 6 के उप नियम 14 में प्रावधानित किया गया है, के पश्चात खाद्यान्न की आपूर्त्ति बंद कर देंगे।

(xv) यदि रिवाल्विंग स्टॉक में खाद्यान्न खत्म हो गया हो तो जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी बाजार से कय कर खाद्यान्न आपूर्त्ति करने का आदेश दे सकेंगे। इस प्रकार के सभी मामलों में खाद्यान्न के लिए भुगतान जिला निधि से किया जायेगा।

(xvi) सभी मुखियागण, वार्ड पार्षदगण, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यगण, तथा अन्य सरकारी कर्मी जिन्हें इस नियमावली के अन्तर्गत परिभाषित कर्त्तव्य सौपें गये हैं, उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे तत्परता तथा बिना विलंब के अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि वे जानबुझ कर अपने नियत कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल होतें हैं तो यह कदाचार के तुल्य माना जायेगा तथा सुसंगत अधिनियमों एवं आचरण नियमों के अन्तर्गत उनसे सख्ती से निपटा जायेगा।

(xvii) इस योजना के कियान्वयन का अनुश्रवण पंचायत स्तर पर मुखिया/ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य, नगरीय क्षेत्र में वार्ड पार्षद, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(xviii) राज्य स्तर पर इस योजना का अनुश्रवण आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया जायेगा।

(xix) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी नोडल प्राधिकार होंगे तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग नोडल प्राधिकार होगा।

(xx) इस योजना के कियान्वयन में सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी। इस नियामावली के अधीन पारित सभी आदेश तथा ऐसे मामलों का जिनमें सहायता प्रदान की गयी हो, प्रकाशन संबंधित जिला के द्वारा उसके बेवसाईट पर, पूर्ण ब्योरे (Web site) के साथ किया जायेगा।

169

3. उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने हेतु सभी जिलों में निम्न कार्रवाईयाँ तुरत करने की आवश्यकता होगी:

(i) सभी जिले अपने जिले के नाम से शताब्दी अन्न कलश निधि का खाता किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में खुलवा लेंगे।

(ii) खाता खुलवाने के उपरान्त आम जनता को इस निधि में नगद अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(iii) मुखिया, ग्राम पंचायत, वार्ड सदस्य, सभी विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मी तथा नगरीय क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षदों को इस योजना के अन्तर्गत सुपरिभाषित दायित्व सौंपे गये हैं। अतएव इस योजना एवं उनके दायित्व की जानकारी विशेष सम्मेलन करके दी जाए।

(iv) इस योजना के अन्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को भी सुपरिभाषित दायित्व सौंपे गये हैं । अतएव संबंधित पदाधिकारियों को इस योजना की विस्तृत जानकारी जिला स्तर पर विशेष बैठक करके दी जाए।

(v) पूर्व से ही भूखमरी रोकने के लिए विभागीय पत्रों के आलोक में प्रति पंचायत में ऐसे जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता का चयन आवश्य कर लिया गया होगा जहाँ एक क्वींटल खाद्यान्न रिवाल्विंग स्टॉक के रूप में रखना था। उक्त सूची को अद्यतन कर लिए जाने की आवश्यकता होगी।

(vi) शताब्दी अन्न कलश योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के सुयोग्य व्यक्तियों को भी आच्छादित करना है। अतएव शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड के लिए जन वितरण प्रणाली की दूकान को चिन्हित कर लेना होगा जहाँ एक क्वींटल खाद्यान्न रिवाल्विंग स्टॉक के रूप में रखा जाएगा।

(vii) इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी ईलाकों में चिन्हित जन वितरण प्रणाली के दूकानों पर इस आशय का सूचना पट्ट प्रदर्शित कराने की व्यवस्था करानी होगी कि वहाँ शताब्दी अन्न कलश योजना,2011 के अन्तर्गत खाद्यान्न का रिवाल्विंग स्टॉक रखा गया है।

(viii) इस प्रकार चिन्हित सभी जन वितरण प्रणाली की सभी दूकानों के नाम, पते यथानुसार पंचायत, प्रखंड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं जिला के नोटिश बोर्ड पर लगाया जाएगा तथा मिडिया के माध्यम से इसका व्यापक पचार–प्रसार किया जाएगा।

(x) मिडिया तथा नागरिक समूहों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की विशेष बैठकें कर इस योजना की विस्तृत जानकारी दी जाएगी ताकि पात्र व्यक्तियों तक सूचनाएँ पहुंच सकें।

(xi) इसी प्रकार प्रत्येक गॉवों में ग्राम सभा के माध्यम से मुखिया द्वारा एवं नगरीय वार्डों में आम सभा कर वार्ड पार्षदों द्वारा आम लोगें तक योजना के प्रचार–प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित कर लेनी होगी।

(xii) भूखमरी से बचाव के लिए पूर्व में सभी जिलों को विभाग द्वारा राशि आवंटित की गयी थी। अब से जो राशि दी जाएगी वह चेक के माध्यम से दी जाएगी जिसे जिला स्तरीय शताब्दी अन्न कलश निधि में रखा जाएगा। अतएव पूर्व के आवंटित राशि का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रतिवेदन भेजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

4. कृपया उपरोक्त के अनुसार सभी जिले आवश्यक कार्रवाई कर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन अविलम्ब भेजें ताकि उन्हें जिला स्तरीय शताब्दी अन्न कलश निधि में राशि आवंटित करने पर विचार किया जा सके।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वास भाजन,

(व्यास जी)

प्रधान सचिव